उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-15/2020/736/तीस-3-20-75जीई/2017
लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान-वेतन बैण्ड-3, रू० 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रू० 5400) को नियमित चयनोपरांत उनके नाम सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान-वेतन बैण्ड-3, रू०15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रू० 6600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	चयन वर्ष
1.	235 सी	राजेश कर्दम	2019-20
2.	236	राजेश	2019-20
3.	237	शिव शंकर सिंह	2019-20

2- उक्त अधिकारीगण अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर यथावत कार्य करते रहेंगे।

ह०/
(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2020/736(1)/30-3-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ ।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ०प्र०के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुये मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. कार्मिक अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।